



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/12 (ए)/09/248.
SPMCIL/VIG/12 (A)/09/

दिनांक: 07.04.2016

Date: 07.04.2016

08

परिपत्र संख्या 09/16/CIRCULAR NO. 09/16

विषय/Sub: सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र के संदर्भ में/Vigilance Clearance Certificate-reg. उपशीर्ष: अधिकारिक विदेश दौरे के मामलों के संदर्भ में/Foreign official tour cases - reg.

सतर्कता विभाग ने यह पाया है कि संगठन से अधिकारिक विदेश दौरे पर जाने वाले कार्यपालकों का सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र समय से नहीं लिया जा रहा है जो कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.06.2011 के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

It has come to the notice of Vigilance Department that Vigilance Clearance are not being taken timely for the officials going on foreign official tours which is not in line with the guidelines of Vigilance Department issued vide circular dated 24.06.2011.

2. इस संदर्भ में सभी इकाइयों को यह सलाह दी जाती है कि वे विदेश दौरे पर जाने वाले कार्यपालकों के लिए सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र सामान्य परिस्थितियों में 15 दिनों पूर्व प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। यदि अकस्मात या आपात स्थिति में कार्यक्रम निर्धारित होता है तो तत्संबंधी जानकारी प्रभारी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

2. In view of this, all units are advised to ensure that the Vigilance Clearance should be processed for the employees going on foreign official tours before 15 days in general circumstances. In case of emergencies & exigency of the situation, the information should be clearly marked by the incharge.

3. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

3. All concerned are hereby advised to note these guidelines for strict compliance. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a vigilance angle.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

शशिभूषण वर्मा
क/व्य/16

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/12 (ए)/09/ २५८
SPMCIL/VIG/12 (A)/09/

दिनांक: 07.04.2016
Date: 07.04.2016

- 2 -

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

4. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

5. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
4. उप महाप्रबंधक (तकनीकी)/उप मु.स.अ./DGM (Tech)/Dy. CVO.
5. मुख्य प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Manager (CHO).
6. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
7. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
8. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.